<u>5न्यायालयः—सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना, दावा अधिकरण, गोहद</u> (समक्षः पी०सी०आर्य)

<u>क्लेम प्रकरण कमांकः 29 / 2014</u> संस्थित दिनांक—29.06.2012 फाइलिंग नं—230303001072012

	7 - 7	
1.	सखावत खॉ पुत्र बसारत खॉ आयु 32 साल	
2.	सायरा पत्नी संखावत खाूं आयु 27 साल	
	जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर-5 नूरगं	ज
	गोहद जिला भिण्ड म०प्र०	आवेदकगण
	वि रू द्ध	
	300	
1- 6	मुसब्बर खॉ पुत्र मेहराव खॉ जाति मुसलमान	ī
1	निवासी इस्लामपुरा गोहद जिला भिण्ड	
W.	मानारा। इरलानुस नाह्य जिला निन्छ	वाहन मालिक
8) of	े इरशाद खॉ पुत्र इब्राहीम खॉ आयु 35 साल	पहिंग नारिपर
2 /8)	जाति मुसलमान निवासी मस्जिद के पास	
A		
1	पोरसा जिला मुरैना म0प्र0	
	0 ' '/' ' 0 0 0 '	वाहन चालक
3—	न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	
	जयेन्द्रगंज ग्वालियर म०प्र०	
		बीमा कंपनी
4.	रामदास पुत्र कालीचरण निवासी खटीक	(C) (S)
	मुहल्ला गोहद	and he
		पूर्व पंजीकृत स्वामी
		अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता । अनावेदक कमांक—1 व 2 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता। अनावेदक कमांक—3 द्वारा श्री आर०के० वाजपेयी अधिवक्ता। अनावेदक कमांक—4 द्वारा श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता।

-::- <u>अधि-निर्णय</u> -::-(आज दिनांक **28.01.2016** को खुले न्यायालय में घोषित)

 आवेदकगण की ओर से उक्त आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—166 मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन दुर्घटना में उनके पुत्र नाबालिग अरमान को आयी गंभीर चोटों के फलस्वरूप हुई मृत्यु पर से मानसिक पीडा एवं दाह संस्कार आदि लगे व्यय की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करते हुए आवेदकगण को कुल 06,30,000 / —रुपये अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्कतः मय साढे 12 प्रतिशत मासिक ब्याज सहित मय खर्चे के दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है ।

- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदकगण मृतक अरमान के माता पिता होकर उसके वैध वारिस हैं।
- 3. आवेदकगण का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.05.12 को दिनके 2.30 बजे आवेदक सखावत का पुत्र अरमानखाँ आवेदक के मकान के सामने वपर्ड नंबर—5 नूरगंज गोहद में खेल रहा था कि एक छोटा हाथी लोडिंग वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर—एम0पी0—एल0ए0—0203 था का चालक अनावेदक क0—2 तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके पुत्र को टक्कर मार दी जिससे उसे जगह जगह चोटें शरीर में आईं और वह घायल होगया। तथा उसक अधिक चोटें होने से उसे ग्वालियर इलाज हेतु ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। तब मृतक का दाह संस्कार किया गया। जिसके दाह संस्कार के खर्च एवं स्नेह से वंचित होने आदि के कारण आवेदकगण ने कुल 6,30,000रूपये मय साढे बारह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिलाये जाने की प्रार्थना की है। समर्थन में आवेदक सखावत ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है।
- 4. अनावेदकगण क0—1 व 2 की ओर से संयुक्त रूप से जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए यह अभिवचन किया है कि कथित वाहन से कोईदुर्घटना नहीं हुई है। न ही अनावेदक क0—2 द्वारा उक्त वाहन को चलाकर कोई दुर्घटना कारित की गई है। तथा आवेदक ने अनावेदक के विरूद्ध झूंठा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। न ही आवेदकगण उनसे कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तथा उनका वाहन बीमित है। अतः क्लेम प्रकरण सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।
- 5. अनावेदक क0—3 की ओर से भी जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए यह अभिवचन किया गया है कि आवेदकगण द्वारा मृतक की आयु गलत बताई गई है। मृतक नाबालिग था जिसकी कोई आय नहीं थी तथा मृतक पर आवेदकगण आश्रित नहीं थे। तथाकथित वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। वाहन का प्रमाणित रजिस्ट्रेशन पेश नहीं किया गया है। कथित वाहन के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण ही उक्त दुर्घटना घटित हुई है। तथा आवेदकगण कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाहन क्रमांक—एम0पी0—30एल0ए0—0203 का बीमा कथित दिनांक 01.05.12 को रामदास के नाम से था बीमित रामदास को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। मुसव्वर के नाम से कोई बीमा कथित दिनांक को नहीं था। इसलिये बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है। घटना के दूसरे दिन षडयंत्र कर वाहन का नंबर लिखाया गया है।
- 6. अतिरिक्त आपित में यह व्यक्त किया है कि वाहन चालक के पास मालयान चलाने का की वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेन्स रूट परिमट व फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था जो कि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। इसिलये कोई उत्तरदायित्व उनका नहीं बनता है। तथा बीमा कीपॉलिसी की शर्तों केविपरीत वाहनका उपयोग यात्रीयों को ले जाने में किया जा रहा था। तथा आवेदकगण को अपना पैन नंबर पेश करना चाहिए था। तथा अनावेदक क0–1 व 2 ने आपस में दुरिभ संधि कर ली है। अतः उक्त आधारों पर दावा सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।
- 7. अनावेदक क0-4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि कथित वाहन का वह रिजस्टर्ड स्वामी था जो उसने 2,27,000 / -रूपये में मुसव्वर पुत्र मेहराव खॉ मुसलमान निवासी इस्लामपुरा

गोहद को दिनांक 10.03.11 को विक्य कर दिया था जिसका लिखतम विक्य पत्र लिखाकर नोटरी अभिभाषक श्री विनोद श्रीवास्तव गोहद से प्रमाणित कराया गया है। तथा क्य दिनांक से उक्त वाहनका स्वामी व आधिपत्यधारी मुसव्वर है क्य दिनांक के बाद सारी जिम्मेदारी मुसव्वर की हो गयी है। घटना दिनांक 01.05.2012 की है तथा दिनांक 10.03.11 के पूर्व उपरोक्त वाहन का बीमा उसके नाम से हुआ था। तथा मुसव्वर के द्वारा ही उक्त वाहन को सुपुर्दगी में लिया गया है। तथा मुसव्वर का नाम आरटीओ ऑफिस में दर्ज हो चुका है। उक्त क्लेम प्रकरण में मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में मुसव्वर खॉ ने अपने आपको वाहन का स्वामी होना स्वीकार किया है। अतः आवेदकगण उससे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं अतः क्लेम आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

8. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नवाद प्रश्न विरचित किये गये जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है।

T.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1 💉	क्या, दि.—01.05.2012 को 2.30 बजे गोहद में अनावेदक	
	क0—2 के द्वारा अनावेदक क0—1 या 4 के स्वामित्व के	
(5.	वाहन छोटा हाथी लोडिंग वाहन	
	कमांक—एम0पी0—30एल0ए0 0203 को तेजी एवं	
	लापरवाही से चलाकर आवेदकगण के पुत्र अरमान खॉ	
	को टक्कर मारकर चोटें पहुंचाई?	1
2	क्या, उक्त दुर्घटना के कारण आहत की मृत्युकारित हुई?	(x Sy)
3	क्या, घटना दिनांक को उपरोक्त प्रश्नाधीन वाहन वैध एवं	, W
	प्रभावी द्वायविंग लायसेन्स, परिमट एवं फिटनेस के बिना	2
	बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा	
	था? यदि हॉ तो प्रभाव-	9
4	क्या, आवेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के	
	अधिकारी हैं? यदि हॉ तो किससे व कितना कितना?	
Г		
5	सहायता एवं व्यय?	

–:- निष्कर्ष के आधार –::-

9. नोट:— प्रकरण में बीमा कंपनी अनावेदक क0—3 की साक्ष्य पहले हुई है शेष अनावेदकों की साक्ष्य उनके बाद हुई है। जिस कम में अनावेदकगण के साक्षी परीक्षित हुए हैं उसी कम में उन्हें आगे विश्लेषण में लिया जा रहा है। अनावेदक साक्षी गोविन्द अना0सा0—1, लिलत इक्का अना0सा0—2, अनवरखाँ अना0सा0—3, मुसव्वर खाँ अना0सा0—4, इरशाद अना0सा0—5 एवं रामदास अना0सा0—6 के रूप में आगे पढा जा रहा है।

-:- वा द प्र श्**न**े क मां क-1 एवं 02-:-

- 10. दोनों वाद प्रश्न दुर्घटना के संबंध में हैं इसलिये उनका सर्वप्रथम और एक साथ मूल्यांकन व निराकरण किया जा रहा है।
- 21. इस संबंध में आवेदक की ओरसे आवेदक क0—1 सखावत आ0सा0—1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि उसके पुत्र अरमान खॉ पढता था व अवयस्क था। दिनांक 01.05.12 को दिन के करीब ढ़ाई बजे घर के सामने खेल रहा था। तब अनावेदक क0—1 के स्वामित्व का वाहन छोटा हाथी लोडिंग जिसे अनावेदक क0—2 चला रहा था। उसने तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके पुत्र अरमानखॉ को टक्कर मार दी थी जिससे उसके शरीर में जगह जगह चोटें आईं और घायल हो गया था जिससे उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसी आशय की साक्ष्य अनावेदक क0—2 श्रीमती जहूरनबाई आ0सा0—2 ने अपने साक्ष्य में दी है।
- $12.\ ag{30 \% 10-1}$ ने अपनी साक्ष्य के दौरान दुर्घटना के संबंध में दर्ज कराई गई एफ0आई0आर0 की प्रमाणित प्रतिलिपि पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान में घटनास्थल का नजरी नक्शा, मृतक अरमान की शव परीक्षण रिपोर्ट, अभियोग पत्र की प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्र0पी0—1 लगायत 5के रूप में प्रस्तुत कर दुर्घटना कारी वाहन की बीमा पॉलिसी, रजिस्द्रेशन, प्रदूषण बोर्ड के प्रमाण पत्र की फोटोप्रतियाँ पेशकरना भी बताया है। और इस बात से इन्कार किया है कि वह घटनास्थल पर नहीं था और उसने कोई दुर्घटना नहीं देखी। तथा अपने पुत्र की मृत्यु का झूंठा क्लेम प्रकरण में प्रस्तुत किया है। पैरा–6 में उसने यह स्वीकार किया है कि वह मजदूरी करता है। सुबह आठ बजे मजदूरी के लिये जाता है और शाम को पांच बजे वापिस आता है और ढलाई का काम करता है। वर्ष 2012 में जब दुर्घटना हुई थी उस समय वह कल्लू ठेकेदार के यहाँ ढलाई का काम करता था। लेकिन दुर्घटना दिनांक को उसने काम पर न जाना बताते हुए यह कहा है कि घर के दरवाजे पर घटनास्थल पर चार पांच बच्चे खेल रहे थे। एक्सीडेन्ट होने पर आवाज सुनकर वह पहुंचा था और जब पहुंचा तब दुर्घटना कारी वाहन चला गया था। पैरा–8 में उसने यह कहा है कि घटना के दूसरे दिन उसने रिपोर्ट की थी। इस बात से इन्कार किया है कि जिस वाहन से वह दुर्घटना बता रहा है उससे कोई दुर्घटना नहीं हुई और उसने घटना के पश्चात रात्रि में सलाह मिशवरा करके दूसरे दिन झूंठी रिपोर्ट लिखाई।
- 13. जहूरन बाई आ0सा0—2 जो कि मृतक अरमान की दादी होकर सखावत की मॉ है, ने पैरा—5 में यह कहा है कि दुर्घटना दरवाजे के कोने पर हुई थी और मकान से 10—12 कदम की दूरी पर सामने हुई थी। यह स्वीकार किया है कि पुलिस के अभियोग पत्र की साक्ष्य सूची में उसका नाम नहीं है। लेकिन वह इस बात से इन्कार करती है कि उसने दुर्घटना नहीं देखी और अनावेदक क0—2 के द्वारा दुर्घटना नहीं की गई। उसने अपने पुत्र के संबंध में यह बताया है कि उसका पुत्र मजदूरी करता है। सुबह दस बजे जाता है और शाम को 6—7 बजे लौटता है। लेकिन घटना दिनांक का वह घर पर ही नहीं था। उसका यह भी कहना है कि घटना के समय सखावत भी मौजूद था और उसने जाकर उसे बताया था कि देखों देखों मम्मी क्या हो गया। मृतक नाती की उम्र उसने नौ साल होना बताई है। और यह बताया है कि वह कक्षा—3 में आंगनबाडी में पढ़ता

था। उसने यह भी कहा है कि चार साल से कम उम्र के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन वह वैसे ही बच्चे को पहुंचा देती थी। यह भी स्वीकार किया है कि मुसब्बर उसका रिश्तेदार है। पैरा–8 में उसने यह कहा है कि वह घर के अंदर थी और उसके सामने दुर्घटना घटित नहीं हुई।

- 14. इस संबंध में अनावेदक क0—1 व 2 की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें मुसब्बरखाँ अ0सा0—4 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि वह वाहन कमांक—एम0पी0—30एल0ए0—0203 का स्वामी है। उसके वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है और आवेदक ने पुलिस से मिलकर झूंठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। उसे यह जानकारी नहीं है कि अनावेदक इरशाद के विरुद्ध जे0एम0एफ0सी0 गोहद के न्यायालय में एक्सीडेन्ट का प्रकरण चल रहा है या नहीं। लेकिन उसने यह स्वीकार किया है कि उसने वाहन सुपुर्दगी में लिया है और उस समय उसे यह जानकारी हुई थी कि इस प्रकरण में इरशाद ड्रायवर है। दुर्घटना दिनांक को इरशाद ड्रायवर था या नहीं था, यह उसे याद नहीं है। उसने भी यह स्वीकार किया है कि आवेदक सखावत उसका दूर का रिश्तेदार है। शादी व्याह में आना जाना है और घटना दिनांक को वाहन मालिक रामदास था। इस बात से इन्कार किया है कि आवेदकगण से मिलकर झूंठा क्लेम प्रकरण पेश कराया गया है।
- 15. अनावेदकगण रामदास की ओर से उक्त साक्षी पर किये गये प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकृति आई है कि उसने उक्त वाहन क्रमांक—एम0पी0—30एल0ए0—0203 को दो लाख सत्ताईस हजार रूपये में रामदास से खरीदा था जिसकी प्र0डी0—6 की लिखापढी हुई थी जिसमें दिनांक 10.03.11 लिखी हुई है। प्र0डी0—6 पर उसने अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार करते हुए यह भी स्वीकार किया है कि प्र0डी0—6 में यह शर्त लिखी गई थी कि विक्रय दिनांक के बाद विक्रेता रामदास का कोई संबंध नहीं रहेगा और संपूर्ण जिम्मेदारी उसीकी अर्थात् कृता की रहेगी। लेकिन उसका कहना है कि उसके वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। पुलिस वालों ने जप्त कर थाने पर रख लिया था। जो उसने सुपुर्दगी पर प्राप्त किया था। पैरा—7 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि वाहन खरीदने के 4—6 महीने बाद पुलिस ने वाहन जप्त किया था और उसने वाहन खरीदने के 4—5 महीने बाद आर0टी0ओ0 कार्यालय में अपना नाम चढ़वाने का आवेदन दिया था। असल लिखापढी आर0टी0ओ0 कार्यालय में जमा कर दी थी और क्य दिनांक से वही वाहन का मालिक है। रामदास नहीं है। इसी आशय की साक्ष्य रामदास अना0सा0—6 ने भी दी है।
- 16. रामदास अना०सा०-4 ने यह भी स्वीकार किया है कि आर०टी०ओ० कार्यालय में वाहन उसके नाम किस दिनांक तक दर्ज रहा, किस दिनांक से मुसव्वर के नाम दर्ज हुआ इस बारे में उसे जानकारी नहीं है। वर्तमान में मुसव्वर के नाम दर्ज हो चुका है। प्र०डी०-6 का दस्तावेज फर्जी तौर पर बनाये जाने से उसने इन्कार किया है। यह स्वीकार किया है कि जब गाडी विक्रय की गई थी उस समय रिजस्ट्रेशन और बीमा उसके नाम ही था । जो मूलतः उसने मुसव्वर को सौंप दिये थे। बीमा और आर०टी०ओ० कार्यालय को बीमा कंपनी को विक्रय की सूचना नहीं दी थी।
- 17. चालक इरशाद खॉ अना०सा०—5 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि वह मजदूरी करता है। उसके पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लायसेन्स है जो उसने मुरैना आर०टी०ओ० कार्यालय से प्राप्त किया था। जो द्रान्स्पोर्ट और गैर

द्रान्स्पोर्ट वाहन चलाने के लिये जारी किया गया था। दिनांक 23.08.14 तक वैध था। उसने इस बात से इन्कार किया है कि दिनांक 01.05.12 को दिन में करीब ढाई बजे वाहन क्रमांक- एम0पी0-30एल0ए0-0203 को चला रहा था और उसने वाहन का उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की। बल्कि उसका कहना है कि उसके विरूद्ध आवेदक ने पुलिस से मिलकर झूंठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी और झूंठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। उसने प्र0डी0–5 का द्वायविंग लायसेन्स प्रस्तृत करते हुए यह कहा है कि घटना दिनांक को वह वैध था। और रामदास का जो वाहन वह वह हल्का मालयान है। पैरा–6 में उसने यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त वाहन को उसने करीब एक साल चलाया था जो दुर्घटना दिनांक से बहुत पहले वह चलाना बताता है निश्चित समय बताने में असमर्थता व्यक्त की है। उसका यह भी कहना है कि दिनांक 01.05.12 के बहुत पहले से ही मुसव्वर उक्त वाहन का मालिक था और वह द्धायवर था तथा वह मुसव्वर के आदेश से उसे चलाता था। यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना का प्रकरण पुलिस ने उस पर चलाया था जिसमें उसकी जमानत भी हुई और प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। तथा न्यायालय से ही मुसव्वर ने वाहन को सुपूर्दगी में लिया है। इस संबंध में बीमा कंपनी की ओर से ललित इक्का अना०सा0—2 ने इस आशय की साक्ष्य दी है कि वाहन क्रमांक-एम0पी0-30एल0ए0-0203 कथित दुर्घटना दिनांक को रामदोस के नाम बीमित था जो हल्के मालयान (Transport vehicle) है।

उक्त वाद प्रश्नों के संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क 18. दुर्घटना अनावेदक क0–2 द्वारा लोडिंग एम0पी0—30एल0ए0—0203 को उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर कारित की गई। जिसमें आवेदकगण के नाबालिंग पुत्र की दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृत्यु हुई थी। जिसके संबंध में आपराधिक प्रकरण भी संचालित है। इसलिये दोनों वाद प्रश्न आवेदकगण के पक्ष में निर्णीत किये जावें। जबकि अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ताओं का यह तर्क है कि प्रकरण में आवेदकगण की ओर सेदुर्घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी पेश नहीं किया गया है। दोनों साक्षी मृतक के पिता व दादी हैं और उन्होंने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। दुर्घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी आवेदकगण की ओर से पेश नहीं हुआ है तथा एफ0आई0आर0 विलंबित है। तत्काल अनावेदक क0-2 जिसे चालक बताया गया है उसके नाम से रिपोर्ट नहीं की गई है जबकि उसे वह पहले से जानते थे। क्योंकि मुसव्वर आवेदकगण का रिश्तेदार भी कहा गया है। एफ0आई0आर0 में द्वायवर का नाम न होने के कारण यह संदिग्ध है कि दुर्घटना छोटा हाथी क्रमांक-एम0पी0-30एल0ए0-0203 के द्वारा ही घटित की गई और वह अनावेदक क0-2 द्वारा दुर्घटना के समय चलाया जा रहा था। इसलिये दोनों वाद प्रश्न आवेदकगण के विरूद्ध निर्णीत किये जावें क्योंकि आवेदकगण ने बाद में सोच विचार करके बीमित वाहन का सहारा लेकर दुर्घटना का मुआवजा प्राप्त करने का कु-प्रयास किया है और इसी आधार पर क्लेम याचिका निरस्ती योग्य है जबक आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने खण्डन तर्कों में यह व्यक्त किया है कि दुर्घटना होने पर सर्वप्रथम कोई भी माता पिता अपने बच्चे का जीवन बचाने का प्रयास करते हैं इसलिये पहले इलाज के लिये ले जाया गया इस कारण रिपोर्ट में विलंब हुआ है। और रिपोर्ट में वाहन का स्पष्ट उल्लेख है अतः दोनों वाद प्रश्न प्रमाणित होते हैं।

- 19. दोनों वाद प्रश्नों के संबंध में अभिलेख पर प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन करने पर आवेदकगण के द्वारा जो दो साक्षी आवेदक सखावत और उसकी माँ जहूरन बाई का पेश किया गया है। दोनों ने ही दुर्घटना होते हुए नहीं देखी है बल्कि दुर्घटना के तत्काल पश्चात वे मौके पर पहुंचे हैं। तथा दोनों की साक्ष्य में यह आया है कि जब वे आये तो वाहन चला गया था। जहूरन बाई ने चक्षदर्शी साक्षी की हैसियत से दुर्घटना देखने बाबत अभिसाक्ष्य दिया है और उसके बारे में यह स्वीकारोक्ति आई है कि वह दुर्घटना के आपराधिक प्रकरण में पुलिस द्वारा साक्षी ही नहीं बनाई गई है ऐसे में उसे चक्षुदर्शी साक्षी की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। जो कि मृतक की दादी भी होकर हितबद्ध है किन्तू अभिलेख पर जो दस्तावेजहैं तथा जो साक्ष्य पेश हुई है, उसमें एफ0आई0आर0 प्र0पी0–1 जिसके मुताबिक दुर्घटना दिनांक 01.05.12 का दोपहर 2.30 बजे हुई जिसकी रिपोर्ट अलग दिन दिनांक 02.05.12 को सुबह 10.30 बजे दर्ज कराई गई। उसमें छोटा हाथी लोडिंग कमांक-एम0पी0-30एल0ए0-0203 के चालक द्वारा दुर्घटना कारित करना बताया गया है। रिपोर्ट में विलंब का कारण परिवार वालों के आने की प्रतीक्षा करना बताई गई है किन्तु उसके आधार पर ऐसा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है कि सलाह मश्विरा करके बीमित वाहन को अभियोजित किया गया है। क्योंकि एफ0आई0आर0 के वृतांत में इस बात का भी उल्लेख है कि दुर्घटना के पश्चात अरमान जिसका कि पैर टूट गया था और पेट के उपर से पहिया निकल गया था। उसे गाडी का द्वायवर व मालिक मुसव्वर खॉ दूसरी गाड़ी में रखकर इलाज के लिये ग्वालियर ले जा रहे थे और रास्ते में ही उसका लड़के की मृत्यू हो गई। फिर रात होने से और परिवार के लोग मौजूद न होने के कारण दूसरे दिन सुबह मृतक को गाड़ी में रखकर थाने रिपोर्ट को लाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाहन जिससे दुर्घटना होना बताई गई उसके मालिक द्वायवर के द्वारा मृतक के उपचार का प्रयास किया गया।
- प्र0पी0—2 के नजरी नक्शा मृताबिक घटना आम रास्ते के पास सखावत 20. के मकान के सामने ही बताई गई है। अनावेदक क0-2 इरशाद खॉ के विरूद्ध धारा–304 ए भा०द०वि० का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान पश्चात उसका जे०एम०एफ०सी० न्यायालय में विचारण हेत् अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाना प्र0पी0-3 से प्रमाणित होता है जिसका समर्थन मुसव्वर अना०सा-4 और इरशाद अना0सा0-5 के अभिसाक्ष्य से भी होता है। उक्त दुर्घटना में ही नाबालिग अरमान की मृत्यू होना प्र0पी0–4 के शव परीक्षण प्रतिवेदन से एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित होती है। जिसका मृत्यू प्रमाण पत्र भी प्र0पी0–5 के रूप में पेश किया गया है। उसमें भी दुर्घटना में मृत्यू का स्थान घर के पास बताया गया है जिसका खण्डन नहीं है। इसलिये ऐसा नहीं माना जा सकता है कि केवल क्षतिपूर्ति पाने के लिये झूंठी पुलिस कार्यवाही की गई है। यह इससे भी और स्पष्ट हो जाता है कि मुसव्वर खॉ प्र0सा0-4 वाहन का स्वामी अपने आपको बताता है और रामदास प्र0सा0–6 उसे बेचना कहता है। जो लेखी प्रमाण मुताबिक दुर्घटना दिनांक को रामदास पंजीकृत स्वामी था। इरशाद अना०सा०-५ के अभिसाक्ष्य से इस बात की पुष्टि पूर्णतः हो जाती है कि वह दुर्घटनाकारी वाहनछोटा हाथी लोडिंग क्रमांक-एम0पी0-30एल0ए0-0203 का घटना के पूर्व से चालक था जैसा कि उसने स्वयं पैरा–6 में स्वीकार भी किया है और आपराधिक प्रकरण उस पर

संचालित होना भी वह स्वीकार कर रहा है। इरशाद की ओरसे या मुसब्बर या रामदास की ओर से ऐसी कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई है कि उन्हें या उनके वाहन को पुलिस द्वारा झूंठे अपराध में संलिग्प किया गयाहै। ऐसे में यही माना जा सकता है कि दिनांक 01.05.12 को दोपहर करीब 2.30 बजे अनावेदक क0—2 के द्वारा छोटा हाथी लोडिंग वाहन कमांक—एम0पी0—30एल0ए0—0203 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर प्र0पी0—2 के नजरी नक्शे में दर्शाई गई दुर्घटना घटनास्थल पर कारित की गई जिससे आवेदक सखावत के नाबालिग पुत्र अरमान खॉ की दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप उसके इलाज के लिये ले जाते समय मृत्यु हो गई। जिससे वाद प्रश्न कमांक—1 दुर्घटना के बिन्दु पर प्रमाणित निर्णीत किया जाता है। तथा वाहन स्वामी के संबंध में वाद प्रश्न कमांक—4 के संबंध में निराकरण किया जावेगा। वाद प्रश्न कमांक—2 भी उक्त अनुसार प्रमाणित हो जाता है और आवेदकगण के पक्ष में निर्णीत किये जाते हैं।

त—ेः वादप्रश्नकमांक—3—ः —

- 21. उक्त वादप्रश्न अनावेदक कृ0—3 के अभिवचनों में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर निर्मित किया गया है जिसका प्रमाण भार अनावेदक कृ0—3 बीमा कंपनी पर है। जिसके संबंध में अभिलेख पर अनावेदक कृ0—3 की ओरसे जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें आर0टी0ओ0 कार्यालय भिण्ड की फिटनेस शाखा के कर्मचारी सहायक ग्रेड—3 गोविन्दिसंह चौहान को अना0सा0—1 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में फिटनेस संबंधी अभिलेख साथ लेकर आना बताते हुए यह कहा है कि वाहन क्रमांक—एम0पी0—30एल0ए0—0203 टाटा लोडिंग वाहन की फिटनेस के संबंध में प्र0डी0—1 का प्रमाण पत्र मांगे जाने पर जारी किया गया था।जो तत्काली आर0टी0ओ0 एम0पी0सिंह द्वारा हस्ताक्षरित है। उनके कार्यालय के अभिलेख मुताबिक दिनांक 01.05.12 को उक्त वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उनके कार्यालय के रिकॉर्ड मुताबिक उक्त वाहन का दिनांक 01.05.12 को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। जो लोक मार्ग पर वाहन चलाने हेतु आवश्यक दस्तावेज है।
- 22. इस साक्षी ने पैरा—2 में यह स्वीकार किया है कि जिस समय नवीन वाहन का पंजीकरण होता है तब फिटनेस व बीमा के दस्तावेज भी एक साथ बनवाये जाते हैं । फिटनेस का प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराया जाता है। इस बात से इन्कार किया है कि दिनांक 01.05.12 का उक्त बाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र था। पैरा—3 में उसने यह स्वीकार किया है कि तीन हजार किलोग्राम से अधिक के माल के वाहन के लिये परिमट की आवश्यक पड़ती है। इससे कम भार के लिये परिमट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उसने फिटनेस सभी वाहनों के लिये आवश्यक होना बताते हुए यह कहा है कि उससे भार का कोई लेना देना नहीं है। यह स्वीकार किया है कि रिकॉर्ड अनुसार उक्त वाहन के रिजस्ट्रेशन में उसका भार 815 किलोग्राम अनलोड लिखा है और उसके लिये परिमट की आवश्यकता नहीं थी किन्तु फिटनेस की थी। पैरा—5 में भी उसने इस बात से इन्कार किया है कि छोटा हाथी वाहन के लिये फिटनेस की आवश्यकता नहीं है। छोटा हाथी माल परिवहन वाला वाहन है।
- 23. इस तरह से उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य मुताबिक बताई गई दुर्घटना दिनांक को प्रकरण में बताये गये दुर्घटनाकारी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं था जैसाकि प्र०डी०–1 के प्रमाणीकरण में टीप लगाई गई है।

आवेदकगण या अन्य अनावेदकगण की ओरसे जो साक्ष्य दी गई है उसमें फिटनेस के बारे में अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। आवेदक के दोनों साक्षी सखावत खाँ और श्रीमती जहूरन बाई को परिमट, फिटनेस व द्घायिवंग लायसेन्स के संबंध में जानकारी का अभाव है और उनके लिये यह संभव भी नहीं है क्योंकि उक्त दस्तावेजों के संबंध में वाहन स्वामी, चालक और बीमा कंपनी पर ही साक्ष्य का प्रमाण भार होता है।

- 24. फिटनेस के संबंध में दूसरे साक्षी लिलत इक्का अना0सा0—2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में यही बताया है कि कथित दुर्घटना दिनांक का उक्त वाहन का वैध एवं प्रभावी परिमेट नहीं था जो बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है और उसके आधार पर बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है। उसके पैरा—4 में वाहन कमांक—एम0पी0—30एल0ए0—0203छोटा हाथी बीमित था किन्तु पैरा—5 में उसने यह बताया है कि बीमित वाहन का सकल भार 2523 किलोग्राम है। रिजस्ट्रेशन में सकल भार 1517 किलोग्राम जोड़ने पर वह बनता है। सकल भार का उल्लेख रिजस्ट्रेशन में नहीं है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि तीन हजार किलोग्राम तक के वाहन के लिये परिमट की आवश्यकता नहीं होती है। मुसव्वर खॉ प्र0सा0—4 ने अपने अभिसाक्ष्य में बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करने से तो इन्कार किया है किन्तु फिटनेस प्रमाण पत्र के संबंध में उसने कोई साक्ष्य नहीं दी है। इरशादखॉ अना0सा0—5 के अभिसाक्ष्य में भी फिटनेस प्रमाण पत्र के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 25. फिटनेस के संबंध में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा—56 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार—
- 26. परिवहन यानों के ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र— (1) धारा—59 और धारा—60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी परिवहन यान को धारा—39 के प्रयोजनों के लिये तभी विधिमान्यतः रिजस्ट्रीकृत समझा जायेगा तब उसके पास ऐसे प्ररूप में जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ और जानकारी दी गई है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाये ठीक हालत में होने का विहित प्राधिकारी द्वारा या उपधारा (2) में वर्णित किसी प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र. हो कि वह यान इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों की उस समय की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है:
- 27. परन्तु जहाँ विहित प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र ऐसा प्रमाण पत्र देने से इन्कार करता है वहाँ वह यान के स्वामी को ऐसे इन्कार के लिय अपने कारण लिखित रूप में देगा
- 28. मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा—2 में मोटरयान संबंधी बिन्दुओं को परिभाषित किया गया है जिसमें किसी यान के सकल भार के संबंध में धारा—2 (15) के अनुसार—किसी यान की बाबत 'सकल यान भार' से यान का कुल भार और उस यान के लिये रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय रूप में प्रमाणित और रिजस्ट्रीकृत भार अभिप्रेत है।
- 29. हल्का मोटरयान को धारा—2 (21) में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार— 'हल्का मोटर यान' से अभिप्रेत हैं, ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसमें सेकिसी का सकल यान भार, ऐसी मोटर कार या द्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का लदान रहित भार (7,500) किलोग्राम से अधिक नहीं है।
- 30. मोटरयान अधिनियम की धारा—149 के अनुसार— पर व्यक्ति जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध हुए निर्णयों और अधिनिर्णयों की तुष्टि

करने का बीमाकर्ताओं का कर्त्तव्य— (1) यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में जिसने पॉलिसी कराई है, धारा—147 की उपधारा (3) के अधीन बीमा प्रमाण पत्र दे दिये जाने के पश्चात धारा—147 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन (या धारा—163 के उपबंधों के अधीन) पॉलिसी द्वारा पूरा करने के लिये अपेक्षित दायित्व के सुंबंध में (जो दायित्व पॉलिसी के निबंधनों के अंतर्गत है) ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय या अधिनिर्णय अभिप्राप्त कर लिया जाता है जिसका पॉलिसी द्वारा बीमा किया हुआ हैतो इस बात के होते हुएभी कि बीमाकर्ता पॉलिसी को शून्य करन या रदद करने का हकदार है,अथवा उसने पॉलिसी शून्य या रदद कर दी है, बीमाकर्ता इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए डिकी का फायदा उठाने के हकदार व्यक्ति को, उस दायित्वके संबंध में उसके अधीन देय राशि जो बीमाकृत—राशि से अधिक न होगी, खचों की बाबत देय किसी रकम तथा निर्णयों पर ब्याज संबंधी किसी अधिनियमिति के आधार पर उस राशि पर ब्याज की बाबत देय राशि किसी धनराशि सहित इसप्रकार देगा मानो वह निर्णीत ऋणी हो।

31. फिटनेस के संबंध में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा—84 के अनुसार— **सभी परिमिटों से संलग्न साधारण शर्तें** — प्रत्येक परिमट की निम्नलिखित शर्तें होंगी—

- (क) परिमट से संबंधित यान के पास धारा—56 के अधीन दिया गया ठीक हालत में होने का विधिमान्य प्रमाण पत्र है और उन्हें सर्वदा ऐसी हालत में बनाये रखा जाता है जिससे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गय नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति होती है।
- मौखिक साक्ष्य में छोटा हाथी उभयपक्ष एम0पी0—30एल0ए0—0203 हल्का माल वाहक यान होने और उसका व्यावसायिक उपयोग होना बताया गया है। प्र0डी0–1 के प्रमाणीकरण के अलावा अभिलेख पर फिटनेस के संबंध में अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं है। प्र0डी0–1 में इस आशय की जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड की स्पष्ट टीप अंकित है कि दिनांक 01.05.12 को उक्त वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र अंकित नहीं है तथा फिटनेस प्रमाण पत्र दुर्घटना दिनांक को नहीं था। अनावेदक क0-3 की साक्ष्य में यह स्पष्ट आया है कि फिटनेस प्रमाण पत्र से वाहन के भार का कोई लेना देना नहीं होता है। और तीन हजार किलोग्राम सकल भार के वाहनों के लिये परमिट की आवश्यकता नहीं है। इससे अधिक के लिये परमिट की आवश्यकता पडती है। इस आधार पर उक्त वाहन के लिये परिमट की आवश्यकता न होना अनावेदक क0–1 व 2, एवं 4 की साक्ष्य में बताया गया है। उनके विद्वान अधिवक्ताओं ने भी अपने तर्कों में वाहन के लिये परमिट की आवश्यकता न होने के आधार पर फिटनेस प्रमाण पत्र न होने का कोई दुष्प्रभाव न होने का तर्क किया गया है जिसके संबंध में अनावेदक क0-3 की ओरसे ही आपितत आई है। परिमट के संबंध में मोटरयान अधिनियम की धारा–66 में प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार

परिमटों की आवश्यकता— (1) किसी मोटरयान का स्वामी किसी सार्वजिनक स्थान में उस यान का परिवहन यान के रूपमें उपयोग, चाहे उस यान से वास्तव में यात्री या माल का वहन किया जा रहा है या नहीं, उस परिमट की शर्तों के अनुसार ही करेगा, या करने की अनुज्ञा देगा जो उस स्थान में उस रीति से, जिससे उस यान का उपयोग किया जा रहा है, उस यान का उपयोग प्राधिकृत करते हुए प्रादेशिक या राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी विहित प्राधिकारी के द्वारा दिया गया है या प्रतिहस्ताक्षरित किया गयाहै,

परन्तु मंजिली गाडी परिमट ऐसी किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिमट में विनिर्दिष्ट की जावें उस यान का उपयोग ठेका गाड़ी के रूप में करने के लिये प्राधिकृत करेगा। धारा—66 की धारा—3 (3)(झ)में यह प्रावधान किया गया है कि कोई ऐसा माल यान जैसा कि सकल यान भार तीन हजार किलोग्राम से अधिक नहीं है उसके परिमट की आवश्यकता नहीं बताई गई है। इसी आधार पर फिटनेस की आवश्यकता न होने के तर्क

अनावेदक क0-1, 2 व 6 की ओरसे किया गया है।

उपर वर्णित मोटरयान अधिनियम की धारा-56 और धारा-66 के अध्ययन से परिमट और फिटनेस दोनों अलग अलग दस्तावेज हैं। कोई भी वाहन का वगैर फिटनेस के मार्ग पर परिचालन विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। परमिट के संबंध में अवश्य यह प्रावधान है कि सकल भार यदि तीन हजार किलोग्राम से कम है तो परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध मोहन यादव आदि विवादित अपील (सी) कमांक-1301/2011 आदेश दिनांक 21.02.2012 में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की युगलपीट के द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि वाहन फिटनेस के बिना चलाया जा रहा हो तो बीमा कंपनी प्रतिकर के लिये उत्तरदायी नहीं होती है। धारा-84(1) मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार परिमट के लिये एक शर्त यह होती है कि संबंधित वाहन के स्वामी के पास उक्त अधिनियम की धारा–56 के अधीन वाहन ठीक हालत में होने का विधिमान्य प्रमाण पत्र अर्थात फिटनेस होना चाहिए और यदि किसी वाहन के संबंध में फिटनेस नहीं है तो यह धारा-84 (ए) के प्रावधान का उल्लंघन माना जा सकता है। इसी संबंध में न्याय दृष्टांत 2005 (।।।) एम0पी0 193 इलाहाबाद चन्द्रेश विरुद्ध योगेन्द्र कुमार में भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस तरह विचाराधीन मामले में उक्त न्याय दृष्टांत लागू होंगे क्योंकि जिस वाहन से दुर्घटना बताई गई है उसका कोई फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था। जो कि धारा–56 मोटरयान अधिनियम के तहत आवश्यक था। उसे केवल इस आधार पर अनदेखा नहीं किया जो सकता है कि धारा–66 की धारा–3 (3)(झ) के अनुसार तीन हजार किलोग्राम से कम भार का वाहन है जिसे परिमट की छूट प्राप्त है। क्योंकि फिटनेस प्रत्येक भार वाहन के लिये आवश्यक है। जैसा कि गोविन्दसिंह चौहान प्र0सा0–1 की साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आया है और उसका खण्डन नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता है कि दुर्घटनाकारी वाहन वगैर फिटनेस के दुर्घटना दिनांक को चलाया गया।

- 34. जहाँ तक परिमट का प्रश्न है, परिमट के संबंध में अनावेदक क0—3 की ओर से लिलत इक्का अना०सा0—2 ने इस आशय की साक्ष्य दी है कि वाहन बिना वैध रोड परिमट के चलाया गया था। लेकिन उक्त साक्षी को मोटरयान अधिनियम की धारा—66 के संदर्भ में इस आशय की जानकारी नहीं है कि उक्त वाहन के लिये परिमट की आवश्यकता थी या नहीं थी। जैसा कि उपर स्पष्ट किया जा चुका है कि तीन किलोग्राम के सकल भार से कम भार का है और उसके लिये परिमट की आवश्यकता नहीं है इसलिये परिमट न होने का कोई दुष्प्रभाव नहीं माना जा सकता है।
- 35. बीमा कंपनी की ओर से वाहन चालक पर वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेन्स भी दुर्घटना दिनांक को दुर्घटना कर वाहन को चलाने के संबंध में अभिवचन किया गया है और उसके संबंध में मौखिक साक्ष्य में लिलत इक्का प्र0सा0—2 ने यह कहा है कि दुर्घटना दिनांक को चालक के पास उक्त वाहन को चलान का वैध और प्रभावी ड्रायविंग लायसेन्स नहीं था जिसके आधार पर वह बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन बताता है। वैध और प्रभावी ड्रायविंग लायसेन्स होने के संबंध में अनावेदक क0—1 व 2 की ओर से दिये गये सुझाव में उक्त साक्षी ने पैरा—6 में यह अस्वीकार किया है और प्र0डी0—3 की उक्त साक्षी के द्वारा तैयार की गई ड्रायविंग लायसेन्स हिस्ट्री को पैरा—6 में मनमाने तरीके से बनवाने के सुझाव को भी इन्कार किया है।

सुझाव को भी उसने इन्कार किया है। इरशादखाँ अनावेदक कृ0—2 को अना०सा0—5 के रूप में परीक्षित कराया गया है। उसने अपने अभिसाक्ष्य में द्रान्स्पोर्ट वाहन और गैर द्रान्स्पोर्ट वाहन चलाने के लिये वैध ड्रायविंग लायसेन्स होना तथा दिनांक 23.08.14 तक वैध होने की भी साक्ष्य दी है। तथा इस बात से इन्कार किया है कि उसके पास वैध ड्रायविंग लायसेन्स नहीं था।

इस संबंध में बीमा कंपनी की ओर से आर0टी0ओ0 कार्यालय मुरैना के लायसेन्स शाखा के कर्मचारी अनवर खॉ सहायक ग्रेड–3 का अनावेदक साक्षीक0–3 के रूप में अभिसाक्ष्य कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि द्वायविंग लायसेन्स कमांक-एम पी 06 और-2011-0015565 एवं लायसेन्स कमांक-एम पी 07 डी–2011–0015563 का लायसेन्स इरशाद खॉ के नाम उनके कार्यालय से जारी किये गये हैं। उक्त लायसेन्स मोटरसाईकिल विथ गियर हल्के मोटरयान नॉन द्रान्स्पोर्ट एवं भारी मालयान- भारी यात्री वाहनों को चलाने के लिये अधिकृत किये गये हैं। हल्का माल यान चलाने के लिये पृष्ठांकित नहीं है जिसके संबंध में मूल अभिलेख साथ लाते हुए प्र0डी0-3 का विवरण आर0टी0ओ0 कार्यालय मुरैना से जारी होना और उसके ए से ए भाग पर वह अपने हस्ताक्षर भी बताता है। हल्का मोटरयान 750 किलोग्राम सकल भाग तक माने जाते हैं ऐसा उसने पैरा–2 में स्वीकार किया है। भारी माल यान के लायसेन्सधारी द्वारा हल्के वाहन को चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता है इसकी उसे जानकारी नहीं है किन्तु उसका ऐसा कहना है कि व्यावसायिक लायसेन्स अलग होते हैं और गैर व्यावसायिक अलग होते हैं और अनावेदक क0-2 का जो ज्ञायविंग लायसेन्स दिनांक 23.08.14 तक के लिये वैध और प्रभावी किया गया था वह भारी द्रान्स्पोर्ट वाहन के लिये था जो दिनांक 07.02.11 को जारी किया गया था। जिसकी वैधता दिनांक 24.08.11 से 23.08.14 तक की थी। हल्का मोटरयान चलाने का लायसेन्स जारी होने के एक साल बाद भारी वाहन चलाने का लायसेन्स जारी किया जाता है। द्वायविंग लायसेन्स के संबंध में रामदास अनावेदक क0-4 जो कि अना0सा0-6 के रूप में परीक्षित हुआ है उसे कोई जानकारी नहीं है कि घटना दिनांक को चालक के पास ड्रायविंग लायसेन्स था या नहीं था और परिमट था या नहीं था। इस तरह से ज्ञायविंग लायसेन्स के संबंध में अनावेदक क0—2 के द्वारा प्र0पी0—5 का ड्रायविंग लायसेन्स पेश किया गया है जो कि मोटरसाईकिल विथ गियर हल्के मोटरयान नॉन द्रान्स्पोर्ट एवं भारी मालयान और भारी यात्री वाहनों के लिये अधिकृत है जबकि दुर्घटनाकारी वाहन तीन हजार किलोग्राम से कम सकल भार का होकर हल्के मोटरयान जिनके परिमट की आवश्यकता नहीं होती है उस श्रेणी का है। इस संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि वाहन चालक पर यह दायित्व नहीं होता है कि वह यह प्रमाणित करे कि उसके पास द्वायविंग लायसेन्स था बल्कि यह बीमा कंपनी का दायित्व है कि वह यह प्रमाणित करें कि चालक के पास वैध द्वायविंग लायसेन्स नहीं था। इस संबंध में न्याय दृष्टांत अखिलेश गुप्ता विरुद्ध रविन्द्र कुमार 2006 (3) एम0पी0जे0आर0 पेज-38 अवलोकनीय है।

38. अनावेदक क0–3 बीमा कंपनी की ओर से इस संबंध में न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध बतुल एवं अन्य 2015 (1) ए०सी०सी०डी० 446(राजस्थान) पेश किया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि यदि चालक के पास दुर्घटना के समय वैध चालन अनुज्ञप्ति न हो तो बीमा कंपनी प्रतिकर के दायित्व से मुक्त होगी। इस संबंध में बीमा कंपनी के द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनवर खॉ अना०सा०–3 को परीक्षित कराया गया है। जिसने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि हल्के माल यान चलाने के लिये अनावेदक क0–2 का ड्रायविंग लायसेन्स पृष्ठांकित नहीं था और उसका यह भी कहना रहा है कि हल्के व्यावसायिक लायसेन्स एवं भारी

व्यावसायिक लायसेनस अलग—अलग बनते हैं और अनावेदक क0—2 का लायसेन्स हैव्ही द्रान्स्पोर्ट के लिये वैध था। उसकी साक्ष्य का खण्डन नहीं होता है। चालक के पास वैध व प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। ऐसे में बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत ओरियेन्टल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध पृथ्वीराज ए०आई०आर० 2008 एस०सी० 1408 अवलोकनीय है जिससे प्रकरण में चालन अनुज्ञप्ति के संबंध में शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित होता है क्योंकि अनवर खॉ प्र0सा0—3 की साक्ष्य का खण्डन नहीं है।

39. इस प्रकार से उक्त वाद प्रश्न के संबंध में उपर किये गये विश्लेषण अनुसार दुर्घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन के लिये फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं था और अनावेदक क0—2 चालक पर प्रश्नाधीन वाहन को चलाने की वैध और प्रभावी द्धायविंग लायसेन्स न होना पाया जाता है। परिमट की आवश्यकता नहीं है। फलतः वाद प्रश्न क्मांक—3 द्धायविंग लायसेन्स और फिटनेस के संबंध में अनावेदक क0—3 बीमा कंपनी प्रमाणित करने में सफल रही है जिसका यह प्रभाव होगा कि बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं टहराई जा सकती है। उक्त अनुसार वाद प्रश्न कमांक—3 अनावेदक क0—3 बीमा कंपनी के पक्ष में प्रमाणित निर्णीत किया जाता है।

_::- वादप्रश्नकमांक-4-::-

- इस संबंध में आवेदक सखावत अना०सा०—1 के द्वारा अपने मृतक पुत्र के संबंध में यह साक्ष्य दी गई है कि दुर्घटना होने पर उसे इलाज के लिये ग्वालियर ले जाया गया जिसे ले जाने में दस हजार रूपये खर्च हुए थे। दाह संस्कार में बीस हजार रूपये खर्च हुए थे। और कुल छः लाख तीस हजार रूपये प्रतिकर की मांग की गई है कि वे पुत्र की मृत्यु से पुत्र स्नेह से वंचित हो गये हैं। जिसके अनुरूप समर्थित साक्ष्य मृतक की दादी जहूरन बाई आ0सा0-2 द्वारा भी अपने अभिसाक्ष्य में दी गई है। दोनों ही मृतक को आठ नौ वर्ष का बालक बताकर आये हैं। अनावेदकगण की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमे अनावेदक क0–1 मुसव्वरखॉ अना०सा०–4 ने अपने अभिसाक्ष्य में वाहन कमांक-एम0पी0-30एल0ए0-0203 का स्वामी स्वयं को होना बताते हुए उसे रामदास से क्य करना बताया है और दुर्घटना दिनांक को रामदास पंजीकृत स्वामी था। उसके नाम वाहन दिनांक 03.05.12 को पंजीकृत हुआ था। जिसने पैरा–6 व 7 में यह स्वीकार किया है कि रामदास से वाहन खरीदने की लिखापढी 10.03.11 को ही हो गयी थी। और जिसका प्र0डी0–6 का दस्तावेज लिखा गया था तथा विक्रय दिनांक से सारी जिम्मेदारी उसकी हो गयी थी, रामदास की नहीं रही थी ऐसा उसने स्वीकार किया है। इरशाद खॉ अनावेदक क्रमांक–2 जो कि अना0सा0–5 के रूप में परीक्षित हुआ है उसने दुर्घटना दिनां के पहले से ही मुसव्वर के उक्त वाहन पर द्वायवर होना अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकार किया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि वाहन दुर्घटना दिनांक को मुसव्वर खॉ के आधिपत्य में था।
- 41. रामदास अनावेदक क्रमांक—4 ने अना०सा०—6 के रूप में अपने अभिसाक्ष्य में भी यही बताया है कि उसने मुसव्वर खॉ को उक्त वाहन दो लाख सत्ताईस हजार रूपये में दिनांक 10.03.11 को विक्रय कर दिया था और उसकी प्र0डी0—6 की लिखापढी हुं थी। मूल कागजात भी मुसव्वर को उसी समय दे दिये गये थे। उसने बीमा कंपनी और आर0टी0ओ० कार्यालय को वाहन विक्रय की कोई सूचना न देना पैरा—6 में स्वीकार किया है।
- 42. इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वाहन से दुर्घटना हुई है और उन्हें चाही गई राशि की क्षतिपूर्ति अनावेदकगण से मय ब्याज के दिलाई जावे जबक बीमा कंपनी ने अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होने का तर्क किया है। अनावेदक

क0−1 व 2 की ओरसे उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि वाहन दुर्घटना दिनांक को रामदास के नाम आर0टी0ओ0 कार्यालय में पंजीकृत था इसिलये वे उत्तराधिकारी नहीं हैं और रामदास की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि वाहन दुर्घटना दिनांक के पहले ही मुसव्वर को विक्रय किया जा चुका था। मुसव्वर का ही उस पर वास्तविक आधिपत्य था और मुसव्वर ने प्र0डी0−6 को स्वीकार भी किया है। इसिलये रामदास उत्तराधिकारी नहीं है या तो बीमा कंपनी उत्तरदायी है या अनावेदक क0−1 व 2 ही उत्तरदायी उहराये जा सकते हैं।

अनावेदक क0—6 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्याय दृष्टांत नानी बाई एवं अन्य विरुद्ध ईशाक खाँ एवं अन्य 1994 जे0एल0जे0 पेज-296 को प्रस्तुत करते हुए यह तर्क किया है कि बीमा वाहन का होता है व्यक्ति का नहीं होता है इसलिये बीमा कंपनी अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती है। क्यांकि वाहन बीमित था। उक्त न्याय दृष्टांत में भी ऐसा प्रतिपादित किया गया है कि बीमा वाहन का किया जाता है स्वामी का नहीं होता है। इसलिये बीमा कंपनी उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकती है। न्याय दृष्टांत के मामले में करतारसिंह का वाहन था उसकी मृत्यू सन् 1975 में हो चुकी थी उसके बाद भी वाहन का बीमा होता रहा और प्रीमियम बीमा कंपनी स्वीकार करती रही थी। दुर्घटना सन् 1981 में हुई थी। ऐसे में बीमा कंपनी के द्वारा स्वामित्व के द्वारा स्वामी के संबंध में जांच पडताल और सत्यापन के लिये पर्याप्त समय व अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध होते हुए भी चुक किये जाने से बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराया गया था। इस प्रकरण में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं हैं और रामदास के द्वारा जो अपने अभिसाक्ष्यमें यह स्वीकार किया गया है कि उसने वाहन विक्रय के संबंध में न तो बीमा कंपनी को कोई सूचना दी न ही आर0टी0ओ0 कार्यालय का सूचना दी। जबिक उसका यह दायित्व था कि वाहन विक्रय करने की सूचना वह देता। प्र0डी0–6 के आधार पर मुसव्वर और रामदास की साक्ष्य से यह तो स्पष्ट होता है कि रामदास ने वाहन मुसव्वर को विकय किया था और उसका प्र0डी0–6 का लिखतम विकय पत्र अनुबंध के रूप में लिखाया था। किन्तु वाहनों के विक्रय के लिये निर्धारित प्रारूप में कार्यवाही करनी चाहिए ताकि आर0टी0ओ0 कार्यालय में वह केता के नाम हस्तांतरित हो जाये। जिसकी कार्यवाही न तो मुसव्वर खॉ अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा की गई न ही रामदास अनावेदक क0-4 के द्वारा की गई है। ऐसे में वाहन स्वामी के संबंध में मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का ही अनुसरण करना होगा।

44. अनावेदक क0—4 रामदास की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक अन्य न्याय दृष्टांत पुरिनया कलादेवी विरुद्ध आसाम राज्य एवं अन्य 2014(4) एस0सी0सी0डी0 (एस0सी0) पेज—1895 को प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब्जे के आधार पर आसाम राज्य को क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी ठहराया था। न्याय दृष्टांत के मामले में दुर्घटनाकारी वाहन बस राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई थी जो कि बीमित नहीं थी और उसका परिवहन किया गया था जिसके दौरान दुर्घटना घटित हुई थी और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जिसकी क्षतिपूर्ति के लिये दावा किया गया था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मोटरयान अधिनियम 1939 की धारा—2(19) और वर्तमान मोटरयान अधिनियम की धारा—2(30) में स्वामी की परिभाषा को विवेचित किया गया है। लेकिन न्याय दृष्टांत के मामले में राज्य सरकार को इस आधार पर उत्तरदायी ठहराया गया था कि असम यान अध्यपेक्षा एवं नियंत्रण अधिनियम 1968 की धारा—5(1) के तहत ऐसे वाहन जिनका अधिग्रहण किया जाता है उनकी निर्मुक्त के लिये स्वामी को नोटिस देना आवश्यक है और न्याय दृष्टांत के मामले में बस के स्वामी को वाहन निर्मुक्त किये जाने का कोई

लिखित नोटिस दिये जाने की साक्ष्य पेश नहीं की गई थी। इस तरह की परिस्थिति अभिलेख पर नहीं है और प्रस्तुत न्याय दृष्टांत के आधार पर कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

- मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2(30) के मुताबिक- स्वामी- से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम में मोटरयान रिजस्टर है और जहाँ ऐसा व्यक्ति अवयस्क है, वहाँ उस अवयस्क का संरक्षक अभिप्रेत है और उस मोटरयान के संबंध में जो अवक्रय करार या पटटे के करार या आडमान के करार पर लिया गया है उस व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका उस यान पर उस करार के अधीन कब्जा है। उक्त परिभाषा में अपक्रय करार purchage High agreement), पटटे करार(agreement Nof league) आडमान (agreement of hypothication) के मामलों में करार के अधीन यान पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को स्वामी माना जा सकता है। एवं विचाराधीन मामले में इस तरह का कोई करार नहीं है इसलिये पंजीकृत स्वामी ही जिसके नाम वाहन रजिस्द्रेशन अथॉर्टी में पंजीकृत है वही स्वामी माना जावेगा। अवयस्क की दशा में उसका संरक्षक स्वामी माना जाता है। इस दृष्टि से प्रकरण में दुर्घटना दिनांक को निर्विवादित रूप से अनावेदक क0-4 रामदास पंजीकृत स्वामी था। अतः बीमा कंपनी जो कि अपनी क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त मानी गई है इसलिये वाहन स्वामी के रूप में रामदास और चालक के रूप में इरशाद को क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी माना जायेगा। इस संबंध में न्याय दृष्टांत पृष्पा उर्फ लीला विरुद्ध शक्तला ए०आई०आर० 2011 एस0सी0 पेज-682 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मार्गदर्शन अवलोकनीय है। जिसमें यह बतलाया गया है कि दुर्घटना के पहले वाहन के स्वामित्व का अंतरण हो गया था लेकिन न तो अंतरित ने न ही अंतरक ने पंजीकृत प्रमाण पत्र में वाहन स्वामी के नाम का परिवर्तन कराने के लिये कोई कदम उठाया। उस चुक को देखते हुए अंतरक को अधिनियम के उद्धेश्यों से वाहन स्वामी माना जायेगा।
- 46. यद्धपि व्यवहार विधि में वाहन के विक्रय के बाद उसे स्वामी नहीं माना जावेगा और प्रतिकर अदा करने के लिये दायित्व अंतरक पर ही रहेगा। इस प्रकरण में भी ऐसी ही स्थिति है कि दुर्घटना के पहले प्र०डी०—6 मुताबिक रामदास ने मुसव्वर को वाहन विक्रय किया किन्तु दोनों ने ही आर०टी०ओ० कार्यालय में नाम परिवर्तन के लिये कार्यवाही नहीं की इसलिये वास्तविकता में भले ही मुसव्वर ही मालिकहै क्योंकि उसने वाहन सुपुर्दगी में भी अपराधिक न्यायालय से प्राप्त किया है जो व्यवहार विचिध में वाहन के विक्रय के बाद उसे स्वामी नहीं माना जायेगा। प्रतिकर अदा करने का दायित्व अंतरक पर ही रहेगा।
- 47. उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदकगण मृतक नाबालिग अरमान की दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिये क्षितिपूर्ति के लिये राशि प्राप्त करने के अधिकारी होना निर्णीत किये जाते हैं और वह क्षितिपूर्ति राशि अनावेदक क0—2 एवं 4 से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जहाँ तक क्षितिपूर्ति की राशि की मात्रा का प्रश्न है कि किससे कितनी कितनी राशि आवेदकगण को दिलाई जा सकती है, इस संबंध में वैधानिक स्थिति को देखा जाये तो नाबालिग मृतक अरमान जिसकी उम्र मौखिक साक्ष्य में 8—9 वर्ष बताई गई है, अभिलेख पर उसका शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0—4 के रूप में पेश है जिसमें उसकी उम्र आठ वर्ष आंकी गई है जिसे विद्या अध्ययन रत होनाबताया गया है। किन्तु कोई प्रमाण पेश नहीं है। गुणांक के बारे में नवीनतम वैधानिक स्थिति को देखा जाये तो न्याय दृष्टांत रेशमाकुमारी विरुद्ध मदनमोहन 2013 ए०सी०जे० पेज—1253 में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ

मृतक पन्द्रह वर्ष तक की उम्र का है वहाँ न्याय दृष्टांत सरला वर्मा विरुद्ध देहली टान्स्पोर्ट कार्पोरेशन 2009 ए०सी०जे० पेज-1298 एस०सी० में तैयार की गई चालक के कॉलम नंबर-6 में किये गये सुधार अनुसार गुणांक लागू करना चाहिए। चाहे दावा धारा-166 या 163(ए) मोटरयान अधिनियम 1988 में से किसी के तहत पेश किया गया हो। रेशमा कुमारी वाले न्याय दृष्टांत में 15 वर्ष तक की उम्र में मृतक के मामले में 20 का गुणांक निर्धारित किया गया है जो इस प्रकरण में लागू होगा। मृतक की स्वयं की कोई आय नहीं थी और अवयस्क के मामले में माता पिता की आयु भी देखी जाती है किन्तु अवयस्क के मामले में यह माना जाता है कि वह वयस्क होकर धनोपार्जन करता और अपने परिवार पर अर्जित आय का अधिकांश भार व्यय करता। ऐसी स्थिति में माता पिता की आश्रितता का निर्धारण सुरक्षित रूप से मृतक की आय की 1/3 भाग पर ही किया जा सकता है।

न्याय दृष्ट्रांते मंजूदेवी विरूद्ध मुसाफिर 2005 ए०सी०जे० पेज-99 एस०सी० के मामले में तेरह वर्षीय बच्चे के मामले में उसकी प्रतीकारात्मक आय(notional income) पन्द्रह हजार रूपये वार्षिक मानकर प्रतिकर दिलाया गया था। गोविन्दसिंह एवं अन्य विरुद्ध अमरजीतसिंह एवं अन्य 2006 भाग–1 दुर्घटना मुआवजा प्रकाशिका 433 (एम0पी0) के मामले में भी 13 वर्षीय मृतक के मामले में पन्द्रह हजार रूपये वार्षिक प्रतीकारात्मक आय निश्चित कर 1/3 भाग आश्रितता को निर्धारित करते हुए पन्द्रह का गुणक लगाया जाकर क्षतिपूर्ति राशि दिलाई गई थी जिसमें अन्य पारंपरिक विभिन्न शीर्षों यथा संपदा की क्षति, अंतिम संस्कार के खर्चे आदि के मद में पच्चीस हजार रूपये दिलाये गये थे जो इस मामले में भी दिलाई जा सकती है। पन्द्रह हजार रूपये वर्तमान प्रतीकारात्मक आय में आश्रितता का 1/3 भाग पांच हजार रूपये होता है जिसमें 20 का गुणक लगाये जाने पर राशि एक लाख बनती है। तथा दुर्घटना के बाद मृतक को उपचार हेतु लाने और अंतिम संस्कार आदि तथा संपदा हानि के मामले में एकमुश्त पच्चीस हजार क्तपये की राशि दिलाई जाना उचित होगा। इस तरह से कुल क्षतिपूर्ति राशि 1,25,000 / –रूपये और उस पर पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर दिलाई जाना उचित होगा। जो अनावेदक क0–2 एवं 4 वहन करने के लिये उत्तरदायी निर्धारित करते हुए उक्त अनुसार वाद प्रश्न क्रमांक-4 का आवेदकगण के पक्ष में निराकरण किया जाता है।

–ः– वादप्रश्नकमांक–5–ःभे

- 49. उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर आवेदकगण का आवेदन पत्र आंशिक रूप से प्रमाणित होता है। आवेदकगण अनावेदक क0—2 एवं 4 से अपने नाबालिग पुत्र अरमान की दुर्घटना में मृत्यु के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र माने गये हैं। अतः उनके पक्ष में और अनावेदक क0—2 एवं 4 के विरूद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:—
- 1. आवेदकगण अनावेदक क0—2 एवं 4 से कुल क्षतिपूर्ति राशि 1,25,000 / (एक लाख पच्चीस हजार रूपये) एवं उस पर अधिनिर्णय दिनांक से पांच प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं जो अनावेदक क0—2 एवं 4 संयुक्त रूप से और समान रूप से वहन करेंगे।
- 2. अनावेदक क0—2 एवं 4 द्वारा क्षतिपूर्ति राशि जमा करने पर उसमें से 25,000/—रूपये(पच्चीस हजार रूपये) की राशि आवेदकगण को बैंक खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे। शेष राशि छः वर्ष के लिये सावधि जमा खाते में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जावे। जो परिपक्वता पर आवेदकगण प्राप्त कर सकेंगे।
- 3. आवेदकगण का प्रकरण व्यय भी अनावेदक क0—2 व 4 अपने प्रकरण व्यय के

साथ वहन करेंगे जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या राशि मुताबिक जो कम हो, वह जोडा जावे।

तदनुसार व्यय तालिका निर्मित की जावे।

दिनांकः 28 जनवरी 2016

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया

(पी.सी. आर्य) सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा दुर्घटना अधिकरण, गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा दुर्घटना अधिकरण, गोहद जिला भिण्ड

ALIMAN ANADA PARENTA ANADA PARENTA ANADA PARENTA PAREN